प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 73/2023 दिनांक 01/4/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7, 7ए पी.सी.एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)
(2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी धाराएं –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 13 समय 5:30 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 31.03.2023 समय 11.54 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 16.03.2023 समय 11.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – टाईपशुदा

5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
(2) पता – आबकारी थाना सलुम्बर जिला उदयपुर
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री किशन लाल
(2) पिता का नाम : श्री भीलुलाल
(3) आयु : 56 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय :
(7) पताः वार्ड नं0 20, सुरजपोल रोड, सलुम्बर तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
1. श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्रीभागचंद जाति जाटव, उम्र 57 वर्ष, निवासी गांव सलेमपुर, तहसील महुवा, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह चुण्डावत हाल होमगार्ड अटैच आबकारी थाना सलुम्बर जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	6000 रूपये	आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी द्वारा परिवादी श्री किशन लाल से 6,000 रूपये रिश्वत स्वरूप मांगना व दिनांक 31.03.2023 को 6,000 रूपये परिवादी से ग्रहण करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 6000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांकः 16–03–2023 समयः करीब 11.00 एएम पर परिवादी श्री किशन लाल पिता भीलुलाल जी पुर्बिया निवासी वार्ड नं0 20, सुरजपोल रोड, सलुम्बर तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हो मन् पुलिस उप अधीक्षक हेरम्ब जोशी के समक्ष एक टाईशुदा रिपोर्ट पेश की कि'' मेरी पुत्री किनल पुर्बिया के नाम से देशी मदिरा समुह खरका वृत्त सलुम्बर में लाईसेन्स की शराब की दुकान हैं। जिसकी देखरेख मैं ही करता हूँ। उक्त लाईसेन्सी शराब की दुकान निर्बाध चलने देने व परेशान नहीं करने व चैकिंग नहीं करने के नाम से प्रहराधिकारी सलुम्बर आबकारी थाना श्री राजेन्द्र प्रसादजी लगातार मासिक बंदी हेतु रिश्वत् की राशि देने के लिए दबाव बनाकर तंग व परेशान कर रहे हैं। पी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जी 2000 रूपये मासिक बंदी के हिसाब से जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000 रूपये रिश्वत् की मांग कर रहे हैं व कह रहे हैं कि यदि बंदी नहीं दी तो दुकान चलाना मुश्किल कर दूंगा। रोज चैकिंग के नाम से परेशान करूंगा। दुकान चलाने के एवज में मैं रिश्वत् नहीं देना नहीं चाहता हूँ। मैंने नियमानुसार लाईसेन्स प्राप्त कर शराब की दुकान चला रहा हूँ। मैं पी.ओ. साहब राजेन्द्र प्रसाद जी को रिश्वत् लेते पकडवाना चाहता हूँ। कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश हैं'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर परिवादी से दरियाफ्त की गयी तो परिवादी ने बताया कि मेरी लडकी किनल के नाम खरका सलुम्बर में एक देशी मदिरा समुह की दुकान हैं। जिसका नौकर नामा मेरे नाम हैं। जिसकी देखरेख मैं ही करता हूँ। आबकारी थाना सलुम्बर के पी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जी मेरे दुकान निर्बाध चलाने की एवज में हर माह 2000 रूपये के हिसाब से जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000 रूपये मांग रहे हैं। पी.ओ. साहब बडे चालाक किश्म के व्यक्ति हैं। जिससे मामला रिश्वत् राशि लेन–देन का पाया जाने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया भलीभॉति समझाई गई। जिस पर परिवादी ने बताया कि दिनांक 17.03.2023 को मेरा आवश्यक घरेलु कार्य हैं। मांग सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 18.03.2023 को करे। नौकर नामा की फोटोप्रति रिपोर्ट के साथ पेश हैं। कार्यालय में पदस्थापित कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को बुलाकर कार्यालय हाजा के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर को मंगवाकर परिवादी को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात कानि. श्री जितेन्द्र कुमार एवं परिवादी श्री किशन लाल पुर्बिया का आपस में परिचय कराया गया एवं परिवादी को दिनांक 18.03.2023 को समय करीब 11.15 एएम पर आबकारी थाना सलुम्बर के आसपास कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से मिलकर मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत हिदायत देकर रवाना किया। कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को दिनांक 18.03.2023 को समय करीब 11.15 एएम पर आबकारी थाना सलुम्बर के पास पहुंच परिवादी से मीलकर मांग सत्यापन की कार्यवाही कराने की हिदायत देकर टेप रिकॉर्डर को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांकः 18–03–2023 समयः करीब 12.37 पीएम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्रीमान् के आदेशानुसार मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकाल कर समय करीब 9.00 एएम पर रवाना हो आबकारी थाना सलुम्बर पहुंच परिवादी श्री किशन लाल से मिला एवं समय करीब 11.26 एएम पर परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर मांग सत्यापन हेतु आबकारी थाना सलुम्बर के लिए रवाना कर मैं आबकारी थाने के आस–पास ही मुकीम रहा। समय करीब 12.05 पीएम पर परिवादी मुझसे आकर मिला और मुझे डिजिटल टेप रिकॉर्डर दिया जिसे मैंने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आबकारी थाने में पहुंच पी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जी से मिला व मासिक बंदी से संबंधित वार्ता हुई जिसे मैंने टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर ली हैं। जिस पर कानि. के पास ही खडे परिवादी श्री किशन लाल से मैंने बात की तो उसने बताया कि मैंने आबकारी थाना सलुम्बर में पहुच पी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जी से मिला तो उन्होने मेरी लोईसेन्सी शराब की दुकान परेशान नहीं करने की एवज में हर माह 2000 रूपये मासिक बंदी के रूप में मांगे। जिस पर मैने 1500 रूपये करने की बात की तो वो नहीं माने और माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000 रूपये वहां उपस्थित श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड की तरफ ईशारा कर उसको देने की बात कहीं। रूपये खुद लेने से मना कर रहे हैं। जिस पर मैं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड से मिला, तो उसने भी श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हुआ। जिस पर मैने श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड को उक्त रिश्वत राशि दिनांक 28.03.2023 को देने की बात कहीं तो उसने दिनांक 28.03.2023 को बात करने व मासिक बंदी लेने हेतु सम्पर्क करने के लिए मेरे मोबाईल नं. लिये। जिस पर मैंने परिवादी को दिनांक 27.03.2023 को समय करीब 11.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने

की हिदायत दी एवं कानि. श्री जितेन्द्र कुमार को मय डिजिटल टेप रिकार्डर के ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। समयः करीब 05.00 पीएम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित आया और डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुना गया तो श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। डिजिटल टेप रिकार्डर का सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। उसके बाद दिनांकः 27–03–2023 समयः करीब 11.00 एएम पर पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री किशन लाल ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित हुआ और मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैंने आबकारी थाना सलुम्बर में पहुच पी.ओ. श्री राजेन्द्र प्रसाद जी से मिला तो उन्होने मेरी लोईसेन्सी शराब की दुकान परेशान नहीं करने की एवज में हर माह 2000 रूपये मासिक बंदी के रूप में मांगे। जिस पर मैने 1500 रूपये करने की बात की तो वो नहीं माने और माह जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000 रूपये वहां उपस्थित श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड की तरफ ईशारा कर उसको देने की बात कहीं। रूपये खुद लेने से मना कर रहे हैं। जिस पर मैं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड से मिला, तो उसने भी श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. को दी जाने वाली रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत हुआ। जिस पर मैने श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड को उक्त रिश्वत राशि दिनांक 28.03.2023 को देने की बात कहीं तो उसने दिनांक 28. 03.2023 को बात करने व मासिक बंदी लेने हेतु सम्पर्क करने के लिए मेरे मोबाईल नं. लिये। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार से मालखाने से डिजिटल टेप रिकार्डर निकलवाकर परिवादी के समक्ष ही चला कर सुना गया तो रिश्वत् मांग की पुष्टि हुई एवं परिवादी के कथनों की ताईद हुई। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आज मेरे अतिआवश्यक कार्य हैं, जिस कारण मुझे घर जाना जरूरी हैं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 28.03.2023 को समय करीब 8.00 एएम पर मय रिश्वत् राशि के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किया। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कराने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर के नाम तहरीर संख्या 259 दिनांक 27.03.2023 जारी कर कानि. श्री महेन्द्र सिंह को देकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद डूंगरपुर के लिए रवाना किया। समयःकरीब 02.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत पुत्र स्व. श्रीमाली राम कुमावत जाति कुमावत, उम्र 35 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट कुमावतो का मोहल्ला, बाघावास वाया रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, पंचायत समिति, डूंगरपुर एवं श्री शैलेष खोकर पुत्र श्री सुखलालजी उम्र 25 वर्ष निवासी मु.पो. वीरपुर तहसील गामडी अहाडा जिला डूंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद डूंगरपुर उपस्थित कार्यालय हुए। जिनसे ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई, तो उन्होने अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 28.03.2023 को समय करीब 08.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रवाना किया। ट्रेप कार्यवाही में अतिरिक्त ब्यूरो जाप्ते की आवश्यकता होने से हालात उच्चाधिकारियों को अवगत करायें। दिनांकः 28–03–2023 समयःकरीब 08.30 एएम पर पूर्व में पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत एवं श्री शैलेष खोकर ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर उपस्थित आये जिन्हे एक कमरे में बिठाया। तत्पश्चात श्री राजेश कुमार कानि. 555 एवं श्री महेश कानि. 394 ब्यूरो चौकी बांसवाडा से उपस्थित ब्यूरो चौकी डूंगरपुर हुए। समय करीबः 08.35 एएम पर परिवादी श्री किशन लाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ और बताया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 6000 रूपये लेकर आया हूँ। जिस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में पूर्व से बैठे दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत एवं श्री शैलेष खोकर से आपस में परिचय कराया गया। इसके उपरांत परिवादी द्वारा दिनांक 16–03–2023 को पेश की गयी टाईपशुदा रिपोर्ट को परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनायी गयी तो परिवादी द्वारा उक्त टाईपशुदा रिपोर्ट शब्द ब शब्द सही होना स्वीकार करते हुए रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय के मालखाने में रखे डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 18–03–2023 को परिवादी व आरोपी के बीच हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्ता के मुख्य अंश को परिवादी एवं दोनो गवाहान को चलाकर सुनाये गये तो दोनों गवाहान ने भी आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि की। दिनांक को 28–03–2023 समय करीब 09.15 एएम पर गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री किशन लाल से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. को दी जाने वाली रिश्वत् राशि

पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री किशन लाल ने अपने पास से 500–500 रूपये को 12 नोट कुल राशि 6,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये। परिवादी श्री किशन लाल द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री महेन्द्र सिंह कानि. से कार्यालय के मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर कार्यालय के टेबल पर दो अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटों पर अलग–अलग दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री किशन लाल की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह शिवराम कुमावत से लिवाई गयी। आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये नोटों को श्री महेन्द्र सिंह कानि. से ही परिवादी श्री किशन लाल की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री बाबु लाल कानि. से एक कॉच के साफ गिलास में साफ पानी मंगवाया जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्री महेन्द्र सिंह कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलवाया जाएगा तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वत् राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री महेन्द्र सिंह कानि. से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री महेन्द्र सिंह कानि. से ही मालखाने में सुरक्षित रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वत राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री बाबूलाल कानि. से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री किशन लाल को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वत् राशि के लेन–देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री महेन्द्र सिंह कानि को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। समय करीब 10.00 एएम पर परिवादी श्री किशन लाल को रिश्वती राशि लेनदेन हेतु उसकी निजी कार से मय कानि. श्री जितेन्द्र कुमार के आबकारी थाना सलुम्बर के लिए रवाना करते हुए उसके पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत, श्री शैलेष खोकर एवं ब्यूरो जाप्ता श्री नारायण लाल स.प्र.अ. एवं श्री महेश कुमार कानि., श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. मय लेपटोप, प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन से एवं श्री अख्तर खॉ हैड कानि. एवं श्री राजेश कुमार कानि. सरकारी मोटर साईकिल से तथा श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री बाबूलाल कानि. अपनी निजी मोटर साईकल से रवाना हुए। समय करीब 11.23 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के गरडा बस स्टेण्ड के पास पहुंच अपने–अपने वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी से गोपनीय रूप से श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. के लोकेशन का पता करवाया गया तो परिवादी ने पता कर बताया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. अवकाश पर होकर अपने गांव गये हुए हैं। जिस पर मन् पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से गवाह श्री शिवराम कुमावत से ट्रेप राशि उसकी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब से निकलवाकर एक खाकी लिफाफे में रखकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि गोपनीय रूप से पता करते रहना एवं जब भी श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. अवकाश से आबकारी थाना सलुम्बर पर उपस्थित आये तो मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावें। उसके बाद परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रवाना किया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियानों एवं मय ट्रेप बॉक्स तथा आवश्यक संसाधन के

अपने–अपने वाहनों से ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पहुंच ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि को श्री अख्तर खॉ हैड कानि. से मालखाने सुरक्षित रखवाया गया। तत्श्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहानों एवं श्री राजेश कुमार कानि., श्री महेश कुमार कानि. ब्यूरो चौकी बांसवाडा को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रवाना किये गये। ब्यूरो के समस्त जाप्ते को गोपनीयता बरने की हिदायत दी गई। दिनांक 31–03–2023 को समय 06.15 एएम पर परिवादी श्री किशन लाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक जरिये दूरभाष अवगत कराया कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. अवकाश से आबकारी थाना सलुम्बर पर आ गये हैं। जिस पर परिवादी को हिदायत दी कि सलुम्बर से आसपुर रोड पर गांव कलुतडा के आस–पास समय करीब 10.30 एएम पर उपस्थित रहे एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत एवं श्री शैलेष खोकर तथा ब्यूरो चौकी डूंगरपुर के समस्त जाप्ते को जरिये दूरभाष समय करीब 09.00 एएम पर ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। श्री राजेश कुमार कानि. ब्यूरो चौकी बांसवाडा को जरिये दूरभाष समय करीब 10.15 एएम पर आसपुर बस स्टेण्ड पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया गया। समय करीब 09.00 एएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत एवं श्री शैलेष खोकर तथा समस्त ब्यूरो जाप्ता ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित रहने की मौखिक सहमति प्राप्त कर एक कमरे में बिठायें। समय करीब 09.15 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री शिवराम कुमावत, श्री शैलेष खोकर एवं ब्यूरो जाप्ता श्री नारायण लाल स.प्र.अ., श्री महेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री जितेन्द्र कुमार कानि., ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत् राशि, लेपटोप, प्रिन्टर मय आवश्यक संसाधन के सरकारी वाहन मय चालक श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. के एवं श्री अख्तर खॉ हैड कानि. सरकारी मोटर साईकिल से तथा श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री बाबूलाल कानि. अपनी निजी मोटर साईकल से आबकारी थाना सलुम्बर के लिए रवाना हुए। समय करीब 10.15 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के आसपुर बस स्टेण्ड के पास पहुंचे जहां पूर्व पाबन्दशुदा श्री राजेश कुमार कानि. ब्यूरो चौकी डूंगरपुर उपस्थित मिला जिसे श्री अख्तर खॉ हैड कानि. के साथ मोटर साईकिल पर सलुम्बर के लिए रवाना किया। समय करीब 10.45 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के गांव कलुतडा के पास पहुंचे जहां पूर्व पाबन्दशुदा परिवादी श्री किशन लाल उपस्थित मिला। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समय करीब 10.52 एएम पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर मिलने हेतु श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड से वार्ता करवाई जिसे टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। श्री प्रवीण सिंह ने परिवादी को बताया की आप आबकारी थाना सलुम्बर पर आ जाओ वहां आपसे मिल लूंगा। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा समय करीब 10.54 एएम पर दुबारा मिलने हेतु परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई जिसे भी डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड ने बताया कि मैं भी आबकारी थाना सलुम्बर पहुंच रहा हूँ और आप भी वहां आ जाओं श्री राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. साहब भी वहां पर हैं उनसे बात कर लेनदेन कर लेंगे। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. से ट्रेप बॉक्स में बंद लिफाफे रखी रिश्वत् राशि 6000 रूपये को निकलवाकर परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये और श्री हर्षवर्धन कानि. के दोनों हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 10.56 एएम पर परिवादी को उसकी निजी कार में साथ में श्री जितेन्द्र सिंह कानि. मय डिजिटल टेप रिकार्डर एवं श्री महेन्द्र सिंह कानि. को रिश्वत् लेनदेन हेतु आबकारी थाना सलुम्बर के लिए रवाना करते हुए श्री जितेन्द्र सिंह कानि. को हिदायत दी कि आबकारी थाना सलुम्बर के आस–पास पहुंच डिजिटल टेप रिकार्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर श्री महेन्द्र कानि. एवं आप कार से उतर कर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार में मुकीम रहे एवं पिछे–पिछे मन् पुलिस उप अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री नारायण लाल स.प्र.अ., श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. सरकारी वाहन से एवं श्री अख्तर खॉ हैड कानि. एवं श्री राजेश कुमार कानि. सरकारी मोटर साईकिल से तथा श्री धीरेन्द्र सिंह कानि. एवं श्री बाबूलाल कानि. निजी मोटर साईकिल से रवाना हुए। समय करीब 11.15 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के गांव कलुतडा से रवानाशुदा आबकारी थाना सलुम्बर के आस–पास पहुंचे तथा अपने–अपने वाहनों को रोड के एक तरफ खडे कर अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मुकीम रहें। समय करीब 11.54 एएम पर परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त निर्धारित ईशारे से हमराहीयान को अवगत करा आबकारी थाना सलुम्बर के परिसर में प्रवेश किया जहां पर परिवादी उपस्थित मिला। परिवादी श्री किशन लाल ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किया जिसे मेरे द्वारा बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया गया। परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं

हमराहियानों को आबकारी थाना सलुम्बर के परिसर स्थित जमादार कमरे में ले गया जिसमें बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की ये ही राजेन्द्र प्रसाद पी.ओ. हैं। जिन्होने अभी–अभी मेरे से 6000 रूपये रिश्वत् राशि लेकर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने पहने हुए लोवर की सामने की दाहिनी जेब में रखे। जिसके बाद मुझे मौका मिलते ही मैने आपको पूर्व निर्धारित रिश्वत् राशि पी.ओ. साहब द्वारा स्वीकारोक्ती का ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर उस व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्रीभागचंद जाति जाटव, उम्र 57 वर्ष, निवासी गांव सलेमपुर, तहसील महुवा, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा हाल श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर होना बताया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थितिन के समक्ष ही आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी को परिवादी से रिश्वत में ली गयी राशि के बारे में पूछा तो आरोपी कुछ नहीं बोलते हुए मौन रहा। कुछ देर बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी को दुबारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने कहा कि गलती हो गई साहब मुझे माफ कर दो। जिस पर पास ही खडे परिवादी ने स्वतः ही बताया कि मेरी पुत्री किनल पुर्बिया के नाम से देशी मदिरा समुह खरका वृत्त सलुम्बर में लाईसेन्स की शराब की दुकान हैं। जिसका नौकर नामा मेरे नाम से हैं एवं देखरेख मैं ही करता हूँ। उक्त लाईसेन्सी शराब की दुकान निर्बाध चलने देने व परेशान नहीं करने एवं चैकिंग नहीं करने के नाम से इन्होने मासिक बंदी के रूप में रिश्वत् की राशि देने के लिए दबाव बनाकर तंग व परेशान कर रहे थे। इन्होने 2000 रूपये मासिक बंदी के हिसाब से जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000 रूपये रिश्वत् की मांग की। जिसकी मैने दिनांक 16.03.2023 को श्रीमान् के कार्यालय में उपस्थित हो रिपोर्ट दी थीं। दिनांक 18.03.2023 को मैं पी.ओ. साहब से यहां आ के मिला तो पी.ओ. साहब ने मुझे श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड की तरफ ईशारा कर बताया था कि उसको रूपये दे देना। उक्त रिश्वत् राशि 6000 रूपये मुझसे मांग कर अभी ग्रहण किये। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री शिवराम कुमावत से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी की तलाशी लिवाई गई तो रिश्वत् राशि बरामद नहीं हुई जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी से पूछा कि रिश्वत् राशि कहां रखी हैं, तो उसने बताया कि मैने श्री किशन लाल से राशि प्राप्त कर मेरे पहने हुए लोवर की सामने की दाहिनी जेब में रखे, किशन लाल के कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने उक्त राशि लोवर की जेब से निकाल कर कमरे में पडी लोहे की रेक की तरफ ईशारा कर बताया की इसके उपर रखे अखबार के निचे रखी हैं। उसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री शिवराम कुमावत से उक्त रेक के उपर पडे अखबार के निचे तलाशी लिवाई गई तो 500–500 रूपये के कुछ नोट मिले। जिन्हें स्वतंत्र गवाह श्री शिवराम कुमावत से ही गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये मिले। जिन नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोटों के नंबरों का मिलान हुबहू हुआ। उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि के नोटों को सफेद कागज में रख सिलचिट कर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करना स्वीकार करने के उपरान्त प्रकियानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच की गिलासों को निकलवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हे दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। उक्त घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरांत आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के पहने हुए लोवर के सामने की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी द्वारा पहने हुए लोवर को

ससम्मान उतरवाकर आरोपी को उसी कमरे में पडी उसकी दूसरी पेंट को पहनायी गयी। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से एक कांच का एक साफ गिलास निकलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के लोवर (जिसमें रिश्वत राशि रखी थी) की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गहरा गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त लोवर की सामने की दाहिनी जेब को सुखवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करा लोवर को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाया जाकर कपडे की थैली को सिलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् कमरे में पडी लोहे की रेक जिसके उपर से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त स्थान का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक कांच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहन व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात रूई को पानी से भिगो कर रेक के उक्त स्थान जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई, पर गुमाकर उक्त घोल में डूबोई गई तो घोल का रंग मटमेला हो गया। जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर. के.–1 व आर. के.–2 अंकित करा सिलचिट कर चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 02.30 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी के निशादेही से घटनास्थल निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका पृथक से तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 03.00 पीएम पर दिनांक 18–03–23 को समय करीब 11.30 एएम पर आबकारी थाना सलुम्बर के परिसर में परिवादी श्री किशन लाल, आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहाधिकारी एवं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 04.45 पीएम पर दिनांक 31–03–2023 को समय करीब 10.52 एएम एवं करीब 10.54 एएम पर परिवादी एवं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड के मध्य जरिये दूरभाष हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ताऐ, जिसे परिवादी के मोबाईल के लाउड स्पीकर को ऑन कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ताओं की मूल एवं डब सीडियॉ तैयार करायी गयी। मूल सीडियों को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्टे तैयार की गयी। मूल सीडियों, डब सीडियों एवं फर्द ट्रांसक्रिप्टों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडियों को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडियो को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 05.30 पीएम पर दिनांक 31–03–2023 को समय करीब 11.10 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के मध्य आबकारी थाना सलुम्बर के परिसर में हुई आमने–सामने लेनदेन वार्ता, जिसे डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करा श्री बाबूलाल कानि. से वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार करायी गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर शब्द ब शब्द सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मूल सीडी, डब सीडी एवं फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडी को सीडी कवर में सुरक्षित रखा गया। समय करीब 07.30 पीएम पर दिनांक 18–03–2023 को करीब 11.30 एएम पर परिवादी एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के मध्य आबकारी थाना सलुम्बर के परिसर में आमने सामने हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया एवं दिनांक 31–03–2023 को करीब 10.52 एएम, करीब 10.54 एएम पर परिवादी एवं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड के मध्य जरिये मोबाईल हुई वार्ताऍ जिसे डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था एवं दिनांक 31.03.2023 को समय करीब 11.10 एएम पर आबकारी थाना सलुम्बर के परिसर में आमने सामने हुई

रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता, जिसे परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर जिसमें चारों वार्ताएँ रिकार्ड की गई हैं। जिसमें प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड को टेप रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07.45 पीएम पर जरिये दूरभाष पूर्व में पाबंदशुदा श्री पुनम चंद पिता श्री रामजी लाल शर्मा जाति शर्मा उम्र 55 वर्ष, निवासी गांव गोठियाबडी, तहसील राजगढ, जिला चूरू हाल सिपाही आबकारी थाना, ग्रामीण उदयपुर आबकारी थाना सलुम्बर जिला उदयपुर पर उपस्थित हो मन् पुलिस उप अधीक्षक को आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के प्रथम नियुक्ति आदेश एवं पदस्थापन आदेश की फोटोप्रतियॉ एवं आबकारी थाना सलुम्बर के उपस्थिति रजिस्टर की फोटोप्रति पेश की जिनका अवलोकन कर दोनो गवाहान एवं श्री पुनम चंद सिपाही के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली की गयी। समय करीब 08.00 पीएम पर अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्रीभागचंद जाति जाटव, उम्र 57 वर्ष, निवासी गांव सलेमपुर, तहसील महुवा, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा हाल श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर एवं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड नं. 264 के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित होने से श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड नं. 264 आज दिनांक 31.03.2023 को आबकारी थाना सलुम्बर पर उपस्थित नहीं होने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उनके भतिजे श्री अमित पिता श्री शेर सिंह जाटव को उसके मोबाईल नं. 9783659575 पर कॉल कर दी गई। समय करीब 08.15 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी के समक्ष श्री अख्तर खॉ हैड कानि. एवं श्री महेन्द्र सिंह कानि. से आबकारी थाना परिसर में स्थित जमादार कक्ष जिसमें आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह प्रहराधिकारी निवास करता हैं की खाना तलाशी लिवाई गई। जिसकी फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। आरोपी के मूल निवास की खाना तलाशी हेतु पूर्व में उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। समय पर 08.40 पीएम पर आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी को अपनी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण देने हेतु क्रमशः पत्रांक एसपीएल–1 एवं एसपीएल–2 दिनांक 31–03–2023 दिया गया। आरोपी ने उक्त पत्रों पर ही अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ एवं मैं अपना स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय में पृथक से पेश करूगा प्रत्युत्तर लिखित में पेश किया। जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। समय करीब 08.45 पीएम पर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो जाप्ता श्री अख्तर खॉ हैड कानि., श्री हर्षवर्धन सिंह कानि. एवं श्री महेन्द्र सिंह कानि. मय सरकारी वाहन के गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु राजकीय चिकित्सालय, सलुम्कर जिला उदयपुर के लिए हिदायतन रवाना किये जो समय करीब 09.40 पीएम पर बाद स्वास्थ्य परीक्षण उपस्थित आये और परीक्षण रिपोर्ट मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश की जिसे शामील पत्रावली की गई। दिनांक 01–04–2023 को समय 12.15 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को रूकसत किया गया। तत्पश्चात मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से आबकारी थाना ग्रामीण उदयपुर से आये श्री पुनम चंद शर्मा सिपाही को आबकारी थाना सलुम्बर यथास्थिति सम्भलाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी, सिलचिटशुदा आर्टिकल, रिश्वत राशि, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के सरकारी व निजी वाहनों से आबकारी थाना सलुम्बर से रवाना हो समय करीब 03.00 एएम पर ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पहुंच मालखाना आर्टिकल, सिलचिटशुदा रिश्वती राशि इत्यादि को मालखाना प्रभारी श्री अख्तर खॉ हैड कानि. को दुरूस्त हालात में संभलाये जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाये गये। दोनो गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया। मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से आईन्दा आरोपी को जरिये जैसी रिमाण्ड माननीय विशिष्ट न्यायालय , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या–1, उदयपुर में पेश किया जावेगा, नोट दर्ज रहे।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्रीभागचंद जाति जाटव, उम्र 57 वर्ष, निवासी गांव सलेमपुर, तहसील महुवा, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड से आपसी मिलीभगत कर परिवादी श्री किशन लाल से उसकी पुत्री

के नाम लाईसेन्सी शराब की दुकान निर्बाध चलने देने व परेशान नहीं करने एवं चैकिंग नहीं करने की एवज में 2000 रूपये मासिक बंदी के हिसाब से जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के 6000 रूपये रिश्वत् की मांग की गई। दौराने मांग सत्यापन आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी द्वारा रिश्वत् राशि उसके दलाल श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड को देने हेतु कहा गया एवं श्री प्रवीण सिंह होमगार्ड द्वारा भी प्रहराधिकारी के लिए रिश्वती राशि प्राप्त करने हेतु सहमति जताई व मांग की गई। जिस पर दिनांक 31.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद प्रहराधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि 6000 रूपये स्वयं ही मांग कर ग्रहण की गई। आरोपीगणों का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद पिता श्रीभागचंद जाति जाटव, उम्र 57 वर्ष, निवासी गांव सलेमपुर, तहसील महुवा, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा हाल प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर एवं श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह चुण्डावत हाल होमगार्ड अटैच आबकारी थाना सलुम्बर जिला उदयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी आईपीसी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित हैं।

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
डूंगरपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जोशी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रहराधिकारी, आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर एवं 2. श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री नाहर सिंह चुण्डावत हाल होमगार्ड, अटैच आबकारी थाना सलुम्बर, जिला उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 73/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 584-88 दिनांक 01.04.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
3. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

1.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।